

सम्मानपूर्ण मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल



12

महिला और
नवजात के
विश्वव्यापी अधिकार

महिला और नवजात के विश्वव्यापी अधिकार

1

हरेक व्यक्ति को नुकसान और अभद्र व्यवहार से मुक्ति का अधिकार है ।

महिला और उसके बच्चे को शारीरिक चोट पहुँचाने का, किसी को भी अधिकार नहीं है । दोनों को नम्रता और सहानुभूति के साथ देखभाल प्राप्त होनी चाहिए । किसी भी प्रकार की तकलीफ या असुविधा होने पर उन्हें सहायता प्राप्त होनी चाहिए ।

2

हरेक व्यक्ति को सूचना और जानकारी के आधार पर सहमती का अधिकार है ।

महिला की जानकारी और सहमति के बिना, उसके स्वयं और बच्चे पर किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रक्रिया करने का किसी को भी अधिकार नहीं है । हरेक महिला, माता-पिता या अभिभावक को, ऐसी भाषा में जिसे वो समझ सकें, जानकारी प्राप्त करने का और उसके आधार पर सहमती का अधिकार है । इन जानकारीयों में पेशेंट रिकार्ड और डिस्चार्ज समरी भी शामिल हैं । हरेक माता-पिता या अभिभावक को नवजात शिशु के हित में, कानून के दायरे में रहते हुए, अपने नवजात की देखभाल से इंकार का अधिकार है ।

3

हरेक व्यक्ति को मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल के समय अपनी पसंद की प्रसव साथी का अधिकार है ।

महिला को अपने साथ प्रसव सखी रखने से रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं है । मातृ स्वास्थ्य देखभाल के दौरान प्रसव सखी रखने का हर महिला को अधिकार है । स्वास्थ्य केन्द्र पर ठहरव के समय अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ रहने का हर नवजात शिशु को अधिकार है ।

4

हरेक व्यक्ति को निजता और गुप्तता का अधिकार है ।

महिला और उसके नवजात शिशु की निजता की सुरक्षा होनी चाहिए। महिला या उसके नवजात शिशु की व्यक्तिगत जानकारी या चिकित्सा सम्बंधित जानकारी, सभी रिकार्ड और फोटो सहित, महिला की सहमती के बिना साझा करने की किसी को भी इजाजत नहीं है । सेवा प्रदाता द्वारा चिकित्सा की निरंतरता हेतु ये जानकारी साझा की जा सकती है।

5

जन्म लेते ही हरेक अपने आप में एक व्यक्ति है और उसे गरीमा तथा सम्मान पाने का अधिकार है ।

महिला या उसके नवजात शिशु को अनीचा दिखाने, अपशब्द कहने, अपमान जनक तरीके से बोलने या छूने की किसी को भी अनुमति नहीं है । महिला और उसके नवजात बच्चे की देखभाल सम्मान और सहानुभूति से करनी चाहिए ।

6

हरेक व्यक्ति को समानता, भेदभाव से स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण देखभाल पाने का अधिकार है ।

महिला और उसके शिशु के साथ, अपनी सोच, पसंद या नापसंद के आधार पर, भेदभाव करने की किसी को भी इजाजत नहीं है । समानता के लिए जरूरी हैं की गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को वही कानूनी सुरक्षा मिले जो उन्हें गर्भवती नहीं होने पर भी मिल सकती है। उनके साथ हो रही शारीरिक प्रक्रियाओं के बारे में फैसला लेने का उन्हें अधिकार है ।

7

हरेक व्यक्ति को सर्वोच्च कोटि का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है |

महिला और उसके बच्चे को जरूरी प्राप्त करने से रोकने का, देखभाल से इंकार करने का, और देखभाल देने से रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं है | महिला और उसके नवजात को उस स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है जो भेदभाव रहित, किफ़ायती, सर्वोत्तम गुणवत्ता पूर्ण, समयोचित और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में उन सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाए जो आधुनिक बेहतर तरीकों में प्रशिक्षित हों |

8

हरेक व्यक्ति को स्वाधीनता, स्वशासन, आत्मनिर्णयता, मनमाने ढंग से रोक कर रखे जाने और अनौपचारिक भुगतान से स्वतंत्रता का अधिकार है |

किसी को भी यह अनुमति नहीं है को, प्राप्त की गई सेवाओं का भुगतान नहीं करने या अन्य स्थितियों में महिला और उसके नवजात को स्वास्थ्य केंद्र में रोक कर रखे | हरेक महिला, माता-पिता और अभिभावक को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में देय निःशुल्क सेवाओं के लिए की गई अनौपचारिक भुगतान की मांग से इंकार करने का अधिकार है |

9

हरेक बच्चे को अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ रहने का अधिकार है |

महिला की अनुमति के बिना, उसे अपने नवजात बच्चे से अलग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है | महिला और उसके बच्चे को एक दुसरे के साथ हर समय रहने का अधिकार है चाहे वो नवजात छोटा/छोटी हो ,समय से पूर्व जन्मा/जन्मी हो या किसी शारीरिक स्थिति के कारण उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत हो |

10

हरेक बच्चे को जन्म से ही पहचान पाने और राष्ट्रीयता का अधिकार है |

किसी को भी अनुमति नहीं है की वो नवजात बच्चे के पंजियन, चाहे जन्म के कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई हो, और उसे कानून के तहत प्राप्त राष्ट्रीयता से इनकार करें |

11

हरेक व्यक्ति को पर्याप्त पोषण और स्वच्छ जल पाने का अधिकार है |

महिला और उसके नवजात बच्चे को पर्याप्त पोषण, स्वच्छ पेय जल, स्वच्छ शौचालय और स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त करने से रोकने की किसी को भी इजाजत नहीं है | महिला को स्तनपान से फायदे, बच्चे के पोषण पर जानकारी और सहयोग प्राप्त करने का अधिकार है |

12

हर महिला और नवजात को समय पर तथा प्रभावी शिकायत निवारण का अधिकार है |

शिकायत के निवारण से महिला को रोकने की किसी को भी इजाजत नहीं है | महिला को प्रभावी, पारदर्शी और समय पर शिकायत निवारण तंत्र का अधिकार है, जो वो किसी भी प्रकार के प्रतिशोध या बदले के डर के बिना प्राप्त कर सकती है |

यह चार्टर व्यापक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार उपकरणों पर आधारित है जैसे कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ आल फॉर्मर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, द इंटरनेशनल कोवनन्ट्स ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स एंड ऑन इकनॉमिक, सोशियल एंड कल्चरल राइट्स। यह चार्टर क्षेत्रीय मानवाधिकार उपकरणों जैसे -अफ्रिकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपलस राइट्स, द अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, और द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड बायोमेडिसिन -द्वारा भी समर्थित है



अधिक जानकारी के लिए जाए:
whiteribbonalliance.org/rmcresources